# प्रदेश में पिछले तीन दिन से नए करोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि

## राज्य में शुक्रवार को 254 नए संक्रमित मिले, इससे पहले गुरूवार को 251 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** प्रदेश में पिछले तीन दिन से नए करोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। शुक्रवार को भी राज्य में थोड़ी बढ़ोत्तरी होने के बाद 254 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच 259 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी बढ़ने से एक्टिव केस घटकर 17 सौ रह गए हैं।

- राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 91 नए मरीज मिले हैं।
- `प्रदेश में रिकवरी बढ़ने से एक्टिव केस घटकर 17 सौ रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 26 जिलों में 254 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरूवार को 251 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान जिले में सर्वाधिक 91 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 18, अलवर में 17, प्रतापगढ़ में 16, पाली व सीकर में 14-14, चित्तौड़गढ़ में 10, कोटा व नागौर में 9-9, बीकानेर व दौसा में 8-8, भीलवाड़ा व जैसलमेर में 6-6, उदयपुर में 4, बाड़मेर, भरतपुर, डूंगरपुर व सिरोही में 3-3, झुंझुनूं, धौलपुर, बारां व अजमेर में 2-2 तथा बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 259 मरीज ठीक हुए हैं। लगातार नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी होने से एक्टिव केस घटकर 1700 रह गए हैं। जयपुर में आज रिकवरी कम होने से एक्टिव मामले बढ़कर 447 हो गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 162 और अलवर में 138 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इस बीमारी से 9628 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 34 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 मरीज मानसरोवर में पाए गए हैं। इसके अलावा जगतपुरा में 9, मालवीय नगर में 7, आमेर व सांगानेर में 5-5, दुर्गापुरा व गोविंदगढ़ में 4-4, सी-स्कीम, चाकसू व शास्त्री नगर में 3-3, बरकत नगर, हरमाड़ा, हसनपुरा, जामडोली, महेश नगर, टोंक फाटक व सोड़ाला में 2-2 तथा आदर्श नगर, अजमेरी गेट, बस्सी, ब्रह्मपुरी, चांदपोल, दूदू, गलता गेट, गांधी नगर, गोपालपुरा, गोविंदनगर, गुर्जर की थड़ी, झालाना, लालकोठी, मुरलीपुरा, निर्माण नगर और सीकर रोड इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 4 संक्रमितों का पता गलत मिला है। जिले में आज 57 मरीज ठीक हुए हैं।

## राजस्थान में निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की

**जयपुर,** (का.प्र.)। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लीयरेंस एक्ट, 2011 एवं राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-2019 के तहत कस्टमाईज्ड पैकेज देने पर विचार करने के लिए स्टेट एम्पावर्ड कमिटी (एसईसी) ने शुक्रवार को विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इससे राज्य में 4,615 करोड रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

एसईसी की इस 39वीं बैठक की अध्यक्षता उषा शर्मा, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इसके तहत आने वाले प्रोजेक्टस ईवी, टैक्सटाईल और सीमेंट सहित विभिन्न सेक्टर से हैं। स्टेट एम्पावर्ड कमिटी द्वारा अनुशंसित प्रोजेक्ट्स को अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाले बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट के समक्ष पेश किया जाएगा।

# सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली

**जयपुर,** (का.सं.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि विदेश जाना किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए आरोपी को अदालत के समक्ष उचित कारण बताना जरूरी है। आरोपी की विदेश जाने की इच्छा मात्र के आधार पर उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- ईडी मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि विदेश जाना मूलभूत अधिकार, लेकिन जाने का उचित कारण कोर्ट को बताना जरूरी

आरोपी सिंघवी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। वह पूर्व में भी अदालत की अनुमति से विदेश जा चुका है। उसकी सभी संपत्ति भारत में ही है, जिसके चलते उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है। सिंघवी की ओर से हवाई यात्रा का टिकट पेश कर कहा गया कि उसे 14 सितंबर से 30 अक्टूबर तक पेरिस जाने की अनुमति दी जाए। वहीं प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने न तो कोई आमंत्रण पत्र और वीसा की कॉपी पेश नहीं है और ना ही विदेश यात्रा का कोई कारण बताया है। ऐसे में आरोपी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।

वहीं मामले में करोडों रुपए के लेनदेन को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से मामला दर्ज किया था। फरवरी 2021 में भी आरोपी सिंघवी ने ईडी कोर्ट से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। हालांकि जुलाई 2021 में हाईकोर्ट ने सिंघवी को विदेश जाकर तीन माह में लौटने के आदेश दिए थे।

# अनुभवी नेता अरूण सिंह को पुनः भाजपा प्रदेश प्रभारी लगाया

**जयपुर।** भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेशो के प्रभारियों की घोषणा की। जिसमें राजस्थान में प्रदेश प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को मनोनीत किया है। साथ ही प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर को बनाया गया है। अरुण सिंह की पूर्व में नियुक्ति 13 नवंबर 2020 को हुई थी।

उसके पश्चात सिंह ने प्रदेश के कई अनगिनत दौरे किये एवं संगठनात्मक ढांचे की मजबूती के लिए जोर दिया ।प्रदेश में बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुख का कार्य 90 प्रतिशत हो चुका है जिससे आगामी चुनावों और संगठनात्मक कार्यों को बल मिलेगा।

## शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू

**जयपुर,** (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' के रूप में ऐतिहासिक पहल की गई है। अब राज्य सरकार योजना अंतर्गत शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी।

# डिप्टी व एसपी पर कार्रवाई के आदेश

**जयपुर।**अतिरिक्त मुख्य महानगर रेलवे मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत से भागने के मामले में जांच अधिकारी और एफआर को मंजूरी देने वाले अधिकारी जीआरपी वृत्ताधिकारी व पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस जाब्ते के सदस्यों ने आरोपी के पुलिस हिरासत से भागना स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी जांच अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए एफआर पेश की है, जो कि स्पष्ट रूप से मिलीभगत और गंभीर लापरवाही का विषय है। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश करें।

- पुलिस हिरासत से भागने के मामले में जांच अधिकारी और एफआर की अनुमति देने का मामला

मामले के अनुसार पुलिसकर्मी सुखदेव ने अलवर जीआरपी में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि हरमाड़ा थाने में युवती के अपहरण के मामले में वह कानपुर गया था। वहां गुमशुदा युवती अमन दीक्षित के साथ मिली। जिसे लेकर वे प्रयागराज से ट्रेन में रवाना हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि 28 फरवरी 2021 को सुबह ट्रेन डीग से रवाना होने के बाद परिवादी को नींद आ गई। वहीं अलवर में ट्रेन रुकी तो पता चला कि अमन दीक्षित ट्रेन से फरार हो चुका था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त की मौत होने के आधार पर एफआर पेश कर दी। एफआर पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि परिवादी और जाब्ते के सदस्य अश्वनी कुमार ने माना की आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ है, जो कि आईपीसी की धारा 223 के अधीन आता है। इसके बावजूद भी इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए एफआर पेश की गई। जो स्पष्ट रूप से मिलीभगत और गंभीर लापरवाही का विषय है।

## दुष्कर्म करने वाले को सजा

**जयपुर।** पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सौतेली भांजी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा सुनाई है।

# 'दलित अत्याचार के मामलों पर गहलोत सरकार मौन'

**जयपुर।** भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रदेश में बढ़ते हुए दलित अत्याचार व कांग्रेस के विधायकों द्वारा दलित अत्याचारों के मामलों पर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने के मामले पर प्रेस वार्ता संबोधित की।

- भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया

गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस के लगभग 4 सालों में राजस्थान दलित अत्याचारों का गढ़ बन चुका है, इस बात की पुष्टि उनके ही विधायक व नेताओं द्वारा लगातार उन्हीं की सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से हो रही है। यदि आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 26900 दलित अपराध के मामले दर्ज हुए जिनमें सैकड़ों मामले प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के हैं, गहलोत सरकार ने भाजपा द्वारा दलित महिला दुष्कर्म के कई मामलों सीबीआई जांच की मांग को अनदेखा किया नतीजतन प्रदेश में लगातार दलित अपराध व महिला दुष्कर्म के मामले 12.9 प्रतिशत बढ़े, आजादी के 75 साल बाद भी राजस्थान प्रदेश में दलितों दूल्हों को घोड़ी से उतारना, किसी दलित द्वारा विद्यालयों में पकाए जाने वाले खाने का बहिष्कार करना, जैसी घटनाएं आम हो रही हैं जिससे सरकार की दलितों के प्रति असंवेदनशीलता का पता चलता है। गोठवाल ने चूरू में दलित महिला के साथ थाने में हुए बलात्कार के मामले जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के राज में दलित महिलाएं पुलिस थाना, अस्पताल, मंदिरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षित नहीं हैं। दलित अत्याचार के मामलों के विरोध पर कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल का इस्तीफा दिया, साथ ही अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा भी मुखर होकर सरकार के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में सरकार की मौन स्वीकृति के चलते दलित अत्याचार चरम पर है, बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले वाले मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा भाजपा नेताओं को दलित अत्याचारों के मामलों का मुखर विरोध करने पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही कर जेल में डाल दिया जाता है।

# बार चुनाव 18 नवंबर को

**जयपुर,** (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 18 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। वहीं चुनाव में वन बार-वन वोट सहित अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट व बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से लिए गए निर्णयों की पालना के लिए रूपरेखा बनाने के लिए एसोसिएशन के पांच पूर्व अध्यक्षों की कमेटी बनाई गई है। पूर्व अध्यक्ष कमलाकर शर्मा, लोकेश शर्मा, आरपी सिंह, आरबी माथुर और माधव मित्र की कमेटी सुप्रीम कोर्ट व बीसीआर के निर्णयों को लागू करने के तरीकों पर मंथन करेगी।

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए पांच पूर्व अध्यक्षों की कमेटी गठित

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। जिसमें 18 नवंबर को वार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं वन बार-वन वोट के साथ ही उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट व बीसीआर के निर्णयों की पालना की रूपरेखा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। शर्मा ने बताया कि बैठक में अधिवक्ता मिनार्क जैन की सदस्यता बहाल करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मीनार्क जैन की बार कौंसिल से सदस्यता समाप्त करने को लेकर पूर्व में भेजी शिकायत को वापस लेने का निर्णय भी किया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की अवधि गत फरवरी माह में पूरी हो चुकी है। अब तक चुनाव नहीं कराने को लेकर गत दिनों एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने एसोसिएशन को मांग पत्र सौंपा था। इसके अलावा वकीलों ने धरना देकर चुनाव कराने की मांग भी की थी। मालूम हो की बीसीआर ने सितंबर 2017 के हाईकोर्ट और मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गत दिनों सभी बार एसोसिएशन को पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि यदि किसी बार एसोसिएशन का सदस्य एक से अधिक बार एसोसिएशन में वोट देगा तो उसकी सदस्यता तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी।

जय अनुसंधान

प्रतिभा को इनोवेशन और अवसर से जोड़कर बढ़ रहा देश

- **अटल इनोवेशन मिशन** - 10 हज़ार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब से **75 लाख** से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े
- देश में उच्च गुणवत्ता वाले शोध और इनोवेशन से बेहतरीन प्रतिभाओं को जोड़ने के लिए **पीएम रिसर्च फेलोशिप**; पीएचडी करने के लिए फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट के रूप में **50 लाख रुपये** से ज़्यादा की राशि
- देश में विश्व के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण, आज देश में **107 यूनिकॉर्न** और **77,000 से अधिक स्टार्टअप**
- तकनीक और सेवा आधारित इनोवेशन पर बल, छह सालों में देश **ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स** में **81वें स्थान** से छलांग लगाकर **46वें स्थान** पर पहुंचा
- **पेटेंट** दर्ज कराने में 7 सालों में रिकॉर्ड **50% वृद्धि**, 2014-15 के 42,700 से बढ़कर 2021-22 में 66,400 पेटेंट फाइल
- तकनीक के जरिये लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रगतिशील **ड्रोन पॉलिसी**; साथ ही **स्पेस सेक्टर** का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया

आज देश टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और इनोवेशन जैसी अनेक दिशाओं में अभूतपूर्व ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है।
नरेन्द्र मोदी

cbc 22201/13/0115/2223

विज्ञान और इनोवेशन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देते अपनी तरह के प्रथम **'सेंटर-स्टेट साइंस कॉन्क्लेव'** का **माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी** द्वारा उद्घाटन, 10 सितम्बर, प्रातः 10:30 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से)